

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या 775/XVII(4) 2011/22/10
देहरादून: दिनांक 26 अप्रैल, 2011
कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्बन्ध में प्राविधान किये गये हैं। इन व्यवस्थाओं के अधीन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधीन विभिन्न लोक प्राधिकारी इकाईयों में लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यों हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 337/XVII(2)2010 दिनांक 25.02.2009 में आंशिक संशोधन करते हुए करते हुए एतद्द्वारा संलग्न प्रारूप के अनुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- यह आदेश उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश दिनांक 25-02-2009 की शेष व्यवस्थाएँ यथावत लागू रहेगी।
- 2- संबंधित कार्मिकों को उपरोक्तानुसार नामिति करने पर उन्हें अलग से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्नक-यथोक्त ।

(एम0एच0 खान)
सचिव

संख्या: 775 (1)XVII(4)/2010 तददिनांक


प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य सूचना आयुक्त / सचिव, सूचना आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमायूं मण्डल नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
10. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल ।

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या: 775 XVII-4/2011 दिनांक 26 अप्रैल 2011 का संलग्नक

क्र०स०	लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5
	विकास खण्ड स्तर / बाल विकास परियोजना स्तर	बाल विकास परियोजना अधिकारी	बाल विकास परियोजना में तैनात वरिष्ठतम मुख्य सेविका	जिला कार्यक्रम अधिकारी
	जनपद स्तर पर	जिला कार्यक्रम अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी


(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव